संख्या–2375 /9–1–2016–41च/2007

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत, उ0प्र0।
(द्वारा–संबंधित जिलाधिकारी)

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक 5 अगस्त ~~जुलाई~~, 2016

विषय: उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 96 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

यह तथ्य संज्ञान में आया है कि नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों द्वारा संविदाओं को स्वीकृत करने में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 96 में उल्लिखित प्राविधानों का न तो अनुपालन किया जा रहा है और न ही बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

2. उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 96 में संविदा स्वीकृत करने हेतु निम्नलिखित प्राविधान है –

(1) ऐसे प्रत्येक संविदा की दशा में संकल्प द्वारा नगरमहापालिका की अनुमति अपेक्षित है

(क) जिसके लिए बजट में व्यवस्था नहीं है, या

(ख) जिसमें किसी नगरपालिका परिषद द्वारा किये गये संविदा की दशा में (पचास हजार रूपये) और नगर पंचायत द्वारा किये गये संविदा की दशा में [पन्द्रह हजार रूपये] से अधिक मूल्य या धनराशि अन्तर्ग्रस्त हो,

[परन्तु नगर पालिका परिषद की दो बैठकों के मध्य की अवधि के दौरान, अध्यक्ष (एक लाख रूपये) से अनधिक मूल्य या धनराशि को अन्तर्ग्रस्त करने वाली संविदाओं की स्वीकृत कर सकता है।]

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दोनों में से किसी प्रकार की संविदा से भिन्न कोई संविदा को नगर पालिका के संकल्प द्वारा या नगरपालिका को समिति द्वारा (जो सलाहकार समिति न हो) जिसे इस निमित्त विनियम द्वारा सशक्त किया गया हो या नगरपालिका के इस प्रकार सशक्त किये गये किसी एक या एक से अधिक अधिकारी या सेवक द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

PGO

परन्तु समिति, अधिकारी या सेवक द्वारा स्वीकृति संविदा को नगरपालिका की आगामी बैठक के समक्ष रखा जायेगा।

(3) जहॉ किसी परियोजना के रेखांकन और प्राक्कलन को इस निमित्त बनाये गये किसी नियम के अनुसार, नगरपालिका द्वारा स्वीकृत किया गया है और कार्य का निष्पादन नगरपालिका द्वारा अपनी सेवा या नियोजन में किसी अभियंता को सौंप दिया गया है, वहॉ नगरपालिका परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी संविदाओं को, या किसी विशिष्ट प्रकार के किसी एक या अधिक संविदा को, जो धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की संविदा से भिन्न हो, स्वीकृत करने की शक्ति विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से उस अभियन्ता को प्रदान कर सकती है। इस प्रकार प्रदत्त शक्ति के प्रयोग पर कोई शर्त या निर्बन्धन उसी रीति से अधिरोपित कर सकता है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में ऐसी संविदाओं, जिनके लिए बजट में व्यवस्था नहीं है, को स्वीकृत करने में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 के उक्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

29/09/16

भवदीय,

04/8/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

PGO